न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 49 / 2020

1. सावंतसिंह पुत्र छत्तूसिंह उम्र–71 वर्ष जाति राजपूत निवासी करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. महिपाल सिंह पुत्र महालसिंह
2. सुप्यार कंवर पत्नी महालसिंह
3. मनोहरसिंह पुत्र मांगूसिंह
4. रणवीर सिंह पुत्र गोविन्दसिंह
5. सावंतसिंह पुत्र मोहनसिंह
   समस्त व्यस्कान, जाति राजपूत निवासी करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
6. लाड कंवर पुत्री अमरसिंह पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी करीरी हाल हुडिया तहसील मकराना जिला नागौर राज0
7. रतन सिंह पुत्र दौलत सिंह
8. समदर सिंह पुत्र दौलत सिंह
9. भंवर कंवर पत्नी दौलत सिंह
10. शंकर सिंह पुत्र श्रवण सिंह
11. गजेन्द्र सिंह पुत्र श्रवण सिंह
12. कौशल्या पत्नी श्रवण सिंह
13. मीनू कंवर पुत्री श्रवण सिंह
14. सुशीला कंवर पुत्री श्रवण सिंह
15. ओमसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
16. विक्रम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
17. रोशन कंवर पुत्री महेन्द्र सिंह
18. मनुकंवर पत्नी महेन्द्र सिंह
19. भंवरकंवर पत्नी हनुमान सिंह
20. सुरजभान सिंह पुत्र हनुमान सिंह
21. बजरंग सिंह पुत्र हनुमान सिंह
22. घीसू सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
23. सुरेश कंवर पुत्री हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
24. उपपंजीयक अधिकारी उपतहसील अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
25. नायब तहसीलदार उपतहसील अमरसर जिला जयपुर (राज0)
26. पटवारी हल्का करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)

–प्रतिवादीगण

28. सुजान सिंह पुत्र छत्तु सिंह
29. वीर विक्रमादित्य सिंह पुत्र छत्तु सिंह
    जाति राजपूत निवासी करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
30. रतन कंवर पुत्री छत्तु सिंह पत्नी दलबीर सिंह जाति राजपूत निवासी खरवा तहसील मसोदा व्यावर जिला अजमेर (राज0)
31. अन्तर कंवर पुत्री छत्तु सिंह पत्नी जगमोहन सिंह, जाति राजपूत, निवासी कालवा छोटाबास वाया मकराना तहसील मकराना जिला नागौर (राज0)
32. जतन कंवर पुत्री छत्तु सिंह पत्नी महिपाल सिंह, जाति राजपूत निवासी खरवा तहसील मसोदा व्यावर जिला अजमेर (राज0)

– तरमीबी प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जि. जयपुर) राज.

दावा इस्तकरारहक घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित 151 सी.पी.सी

1. श्री रामगोपाल गुप्ता, वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री रविशंकर अग्रवाल, वकील अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 24-11-2022

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2343/0.54, 2432/0.38 कुल किता 2 रकबा 0.92 है0 वाकै ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के संबंध में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज छत्तुसिंह व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के मध्य आपसी सहमति से अन्य भूमियों में बटवारा होना बताकर 2432 के 1/2 भाग की पश्चिमी तरफ व 2343/0.54 है0 के 1/2 भाग की दक्षिण की तरफ की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 23 के पूर्वज तोफसिंह के व हाल आराजी खसरा नम्बर 2343 रकबा 0.54 है0 के 1/2 भाग उत्तरी तरफ व 2432/0.38 के पूर्वी 1/2 भाग वाकै ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

2. वकील प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 5 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के संबंध में निवेदन किया कि उक्त राजस्व वाद में अंकित भूमि को लैण्ड होल्डर तहसीलदार होता है अतः विधि में लेण्ड होल्डर तहसीलदार को पक्षकार बनाने के साथ प्रतिवादी संख्या 24, 25, 26 एवं 27 एक लोक सेवक की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है जिसके लोक सेवक का पक्षकार बनाये जाने पर राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय को भी पक्षकार बनाया जाना विधि मे आवश्यक है इसलिये राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश जयपुर को पक्षकार बनाये बिना विधि में किसी प्रकार कोई राजस्व विधि मे नही सकता है तथा वादी ने उक्त राजस्व वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा के लिये वादी का कब्जा मौके पर उक्त भूमि होना चाहिए जबकि भूमि पर वादी को कोई हक व कब्जा नही रहा है और ना ही मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त है तथा राजस्व वाद लाने से पूर्व मे जमाबंदी में अंकित विवादित खसरा नम्बर के सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाये बिना किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त नही किया जा सकता है वादी गरीब व्यक्तियों की जमीन पर अवैध कब्जा करने का कार्य करता है तथा माननीय न्यायालय से गलत तथ्यों के आधार के आधार पर किसी प्रकार की कोई टी आई प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा उक्त प्रकरण तहसीलदार शाहपुरा को पक्षकार नही बनाया गया है ना ही उक्त प्रकरण में तहसीलदार को एक लोक अधिकारी है और किसी भी लोक अधिकारी को किसी भी प्रकरण मे पक्षकार बनाने हेतु व्यवहार प्रकिया सहिता की धारा 80 के अन्तर्गत 60 दिन पूर्व अर्थात दो माह का मियादी नोटिस दिया जाना अपेक्षित होता है इसके बिना दावा न्यायालय हाजा से संस्थित नही किया जा सकता है। यह कि ऐसा कोई नोटिस देने का उल्लेख वाद पत्र में नही है ना ही उसकी कोई छूट प्राप्त करने हेतु श्रीमान न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त कर ही उक्त वाद पेश किया है। ऐसी स्थिति में वाद न्यायालय में संस्थापित किये जाने योग्य नही है ओर बार्ड बाई ला होने के कारण वादी का उक्त वेग वाद सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

3. राजस्व वाद का सम्पूर्ण पाठ करने पर स्पष्ट होता है कि प्रकरण में तथाकथित वाद कारण दर्शाया गया है कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है क्योंकि वादी मिनप्रतिवादी से आज तक कभी मुलाकात नही हुई है तथा ना ही मिनप्रतिवादी वादी

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर

को जानता नही है ना ही उक्त भूमि से मिनप्रतिवादी का कोई लेना देना नही है और ना ही मिनप्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 03, 04 ता 05 से कोई मुलाकात नही है ना ही मैने बुलाया था, वादी को मिनप्रतिवादी से किसी प्रकार की कोई धमकी देने की तारीख व समय अंकित नही किया गया है तो वादी को कैसे धमकी दे सकता है वादी ने उक्त वाद पत्र मे जो वाद कारण जो बताया गया है, उत्पन्न होने को सवाल नही है क्योंकि उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी का कोई लेना देना नही है ना ही कोई हक व अधिकार है तथा कभी कोई कब्जा काश्त रहा है इसलिए वादी का उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया मनगढंत व गलत व झुठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो विधि में वाद कारण के अभाव में चलने योग्य नही है।

4. राजस्व बाबत इस्तकरार घोषणा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिये वाद पत्र अंकित खसरा नम्बर 2343/0.15 ए 2432/0.38 भूमि के सभी रिकोडेट खातेदारी में वादी का कोई किसी प्रकार का हक व अधिकार नही है तथा ना ही किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त रहा है इस प्रकार से एक रिकोडेट खातेदार के खिलाफ बिना किसी हक व अधिकार के राजस्व वाद चल नही सकता है तथा वादी ने वाद पत्र में अंकित भूमि खसरा नम्बर 2432, 2343 पर मौके पर कोई कब्जा वादी का नही है इसलिये विधि में बिना काब्जा के किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा वाद चलने योग्य नही है तथा वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय हाजा को गुमराह कर किसी प्रकार की कोई स्थायी निषेधाज्ञा वाद विधि मे चल नही सकता है इसलिये पक्षकारा के अभाव में उक्त राजस्व वाद को इसी स्टेज पर खारिज किया जाना विधि सम्मत है क्योंकि वादी ने अपने वाद पत्र में अंकित भूमि खसरा नम्बरों में अपना हिस्सा 1/2 बताया गया है जो कि गलत है ना तो ये वादी किसी प्रतिवादीगण पूर्वजों कोई वंशज है ना ही किसी उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार ही बनता है तो वाद को उक्त रिकोडेट खातेदारी भूमि में कब्जा कैसे हो सकता है तथा लेण्डहोल्डर तहसीलदार के साथ राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश जयपुर को भी पक्षकार नही बनाया गया है इसलिए वादी का उक्त वाद विधि से चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाना विधि में आवश्यक है।

5. वकील अप्रार्थी/वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के संबंध में निवेदन किया कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से रामकिशोर यादव दिनांक 05.08.2020 को प्रतिवादी संख्या 3 स्वयं उपस्थित आया प्रतिवादी संख्या 5 से 7 की ओर से दिनांक 07.09.2020 को अधिवक्ता एम. के सैनी उपस्थित आये प्रतिवादीगण द्वारा अन्दर अवधि जवाब प्रस्तुत नही करने से उनके जवाब का अधिकार समाप्त हो गया प्रतिवादी संख्या 5 ने दिनांक 06.08.2021 को यानि उपस्थिति से 11 माह पश्चात अपना जवाब दावा बंद होने की संभावना से व प्रकरण में अनावश्यक रूप से विलम्ब कारित करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज योग्य है उक्त वाद में अंकित भूमि का लेण्ड होल्डर तहसीलदार होना एवं लेण्ड होल्डर के साथ प्रतिवादी संख्या 24 लगायत 27 को लोक सेवक की हैसियत से पक्षकार बनाना स्वीकार है शेष खण्ड जिस प्रकार जाहिर किया गया है गलत है स्वीकार नही है। लोक सेवक को पक्षकार बनाये जाने पर राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश को भी पक्षकार बनाये जाना कानूनन आवश्यक नही है वादी ने तो राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जोकि लेण्ड होल्डर है,को पक्षकार बनाया है जो पर्याप्त है इसके अलावा दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा के लिये वादी का मौके पर कब्जा होना चाहिए जबकि उक्त भूमि पर वादी का कोई हक व कब्जा नही रहा है अंकित किया है जो कि गलत है वादी ने स्पष्ट रूप से अपने वाद पत्र की खण्ड संख्या 2 में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का अपने पूर्वज छत्तुसिंह के बटवारे की भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से कब्जा होना व बिना किसी बाधा के उपयोग व उपभोग करने व उक्त भूमि से

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर)

प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कब्जा नही रहा होने का अंकन किया है। प्रतिवादी ने वाद पत्र को बिना पढे ही अनावश्यक विलम्ब कारित करने व अपना जवाब बंद होने की संभावना से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने प्रार्थना पत्र के इस खण्ड में वादी पर गरीब व्यक्तियों की जमीन पर अवैध कब्जा करने का तथ्य भी गलत व वादी के मान सम्मान व इज्जत को हानि पहुचाने व बदनाम करने की नियत से अंकित किया है जिसे प्रार्थना पत्र से हटाया जाना न्यायसंगत है। वादी को धमकी देने व आपसी बटवारे के अन्तर्गत वादी के नाम खातेदारी कराने हेतु कहने पर इंकार होने पर वादी का सही रूप से वाद कारण उत्पन्न होने पर वाद दायर किया है प्रतिवादी ने प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, 5 से कोई मुलाकात नही होने ना ही धमकी देने का तथ्य गलत अंकित किया है प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र संबंधित कानूनी प्रावधानों की पूर्ति नही करने से हर्जा खर्चा खारिज योग्य है। वाद पत्र में वर्णित अनुसार 1/2 भाग की भूमि पर अपने पूर्वज छल्लूसिंह के समय से कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी उक्त तथ्यों को अपने जवाब दावे में अंकित कर उन पर विवादक कायम कर विचारण करवा सकता है लेकिन प्रतिवादी ने प्रकरण में 11 माह तक जवाब प्रस्तुत नही करने व अपनी जवाबदेही बंद होने की संभावना से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वादी द्वारा कथित तथ्यों को वादी द्वारा विवादक कायम होने के पश्चात अपनी साक्ष्य से सिद्ध करना है प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे व प्रतिवादीगण की जवाबदेही बंद फरमायी जावे। वकील उभयपक्ष ने न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

6. पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा वादपत्र के अनुसार प्रश्नागत आराजी अन्य भूमियों के साथ बंटवारा बताकर आराजी के विशिष्ट भू–भाग की घोषणा अनेक सहखातेदरों में से कुछ खातेदारों के खिलाफ चाही है लेकिन वादी द्वारा वाद पत्र के साथ न तो अपना, ना ही अपने पूर्वज छल्लूसिंह का प्रश्नागत आराजी में कभी अपने सहखातेदार होने का ना ही भूमियों के बंटवारे के संबंध में कोई रिकार्ड वादपत्र के साथ प्रस्तुत किया है कानूनन सहखातेदारान की भूमि प्रत्येक सहखातेदार का हर इंच पर कब्जा माना जाता है ऐसी स्थिति में कानूनन जब वादी के आराजी के खातेदार नहीं है न ही किसी तरह का बंटवारे का तथ्य है पत्रावली में पेश किया है व सहखातेदारी की भूमि में से विशिष्ट भू–भाग का व अनेक सहखातेदारों में से कुछ खातेदारों के विरूद्ध घोषणा का अनुतोष कानूनन वादी को नहीं दिया जा सकता है उक्त समस्त विवेचन के आधार पर विधि द्वारा वर्जित होने व वादी द्वारा प्रतिवादी को हैरान करने की गर्ज से पेश किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुतः प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दिनांक 24.02.2022 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र खारिज किया जाता है।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 49/2020

1 सावंतसिंह पुत्र छत्तूसिंह उम्र–71 वर्ष जाति राजपूत निवासी करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
–वादी

बनाम

1. महिपाल सिंह पुत्र महालसिंह
2. सुप्यार कंवर पत्नी महालसिंह
3. मनोहरसिंह पुत्र मांगूसिंह
4. रणवीर सिंह पुत्र गोविन्दसिंह
5. सावंतसिंह पुत्र मोहनसिंह
6. समस्त व्यस्कान, जाति राजपूत निवासी करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
7. लाड कंवर पुत्री अमरसिंह पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी करीरी हाल हुडिया तहसील मकराना जिला नागौर राज0
8. रतन सिंह पुत्र दौलत सिंह
9. समदर सिंह पुत्र दौलत सिंह
10. भंवर कंवर पत्नी दौलत सिंह
11. शंकर सिंह पुत्र श्रवण सिंह
12. गजेन्द्र सिंह पुत्र श्रवण सिंह
13. कौशल्या पत्नी श्रवण सिंह
14. मीनू कंवर पुत्री श्रवण सिंह
15. सुशीला कंवर पुत्री श्रवण सिंह
16. ओमसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
17. विक्रम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
18. रोशन कंवर पुत्री महेन्द्र सिंह
19. मनुकंवर पत्नी महेन्द्र सिंह
20. भंवरकंवर पत्नी हनुमान सिंह
21. सुरजभान सिंह पुत्र हनुमान सिंह
22. बजरंग सिंह पुत्र हनुमान सिंह
23. घीसू सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
24. सुरेश कंवर पुत्री हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
25. उपपंजीयक अधिकारी उपतहसील अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
26. नायब तहसीलदार उपतहसील अमरसर जिला जयपुर (राज0)
27. पटवारी हल्का करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)

–प्रतिवादीगण

29. सुजान सिंह पुत्र छत्तु सिंह
30. वीर विक्रमादित्य सिंह पुत्र छत्तु सिंह
31. जाति राजपूत निवासी करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
32. रतन कंवर पुत्री छत्तु सिंह पत्नी दलबीर सिंह जाति राजपूत निवासी खरवा तहसील मसोदा व्यावर जिला अजमेर (राज0)
33. अन्तर कंवर पुत्री छत्तु सिंह पत्नी जगमोहन सिंह, जाति राजपूत, निवासी कालवा छोटाबास वाया मकराना तहसील मकराना जिला नागौर (राज0)
34. जतन कंवर पुत्री छत्तु सिंह पत्नी महिपाल सिंह, जाति राजपूत निवासी खरवा तहसील मसोदा व्यावर जिला अजमेर (राज0)

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित 151 सी.पी.सी

1. श्री रामगोपाल गुप्ता, वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री रविशंकर अग्रवाल, वकील अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

निर्णय दिनांक 21-11-2022

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुतः प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दिनांक 24.02.2022 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21-11-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन)
सहायक कलेक्टर(फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरी जिला जयपुर

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्श के लिए स्टाम्प 4 वकील पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिशन की फीस	/
जोड़		जोड़	

न्यायालय सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.